

फंद अहकाम

(नियम 26)

जब अदावत

बतिरिक्त जिला कलेक्टर

दोंब

सावित्री देवी

बनाम

कालूराम

किस्म मुकदमा

शा. का. वि. वि. ध.

नं.

23

सन

2017

| | | |
|------------|--------------------------------|--|
| हारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इतिहास जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--------------------------------|--|

12/1/17

अभि. प्रार्थीया उपा. प्रकरण तमाकत अदालत है। दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपर्युक्त अधिकारी देवली से आवेदन की प्रति भिजवाई जाकर बिन्दुवा रिपोर्ट भेजा गई जावे। पत्रावली दिनांक 19-1-17 को पेश हो।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर
दोंब

2
12/1/17

12-1-17

अभि. प्रार्थीया उपा. अपवाड अधिकारी देवली से वांछित रिपोर्ट अग्रपुष्ट। पुनः तलनी रिपोर्ट भेजा गई जाकर पत्रावली दिनांक 23/1/17 को पेश हो।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर
दोंब

2-3-17

पत्रावली पेश हुई। अभि. प्रार्थीया उपा. वांछित रिपोर्ट SDJ देवली से तलब कर दिनांक 12-4-17 को पेश हो।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर
दोंब

13.4-17

पत्रावली पेश हुई। अभि. प्रार्थीया उपा. वांछित रिपोर्ट पुनः तलब होकर दिनांक 9-6-17 को पेश हो।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर
दोंब

9/6/17

अभि. प्रार्थीया उपा. वांछित रिपोर्ट SDJ भालपुर से अग्रपुष्ट। पुनः लिखा जाकर पत्रावली दि. 9/6/17 को पेश हो।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए | तारीख हुकम |
|---------------|---|---|---------------|
| 4.8.17 | पत्रावली पेश हुई। अति. प्रार्थी उप. वांछित रिजल्ट अप्राप्त। पुनः तलब होकर दिनांक 22.9.17 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दोंब | | |
| 22.9.17 | पत्रावली पेश हुई। अति. प्रार्थी उप. वांछित रिजल्ट पुनः तलब कर दिनांक 27.10.17 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दोंब | | |
| 27.10.17 | पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त प्रार्थी उप. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दिनांक 12.01.2017 को कार्यरत उपरवन्त अधिकारी देवली से न्याय न मिलने की उम्मीद से वहाँ जेरकार प्रकरण सं० 141/2016 अन्तर्गत दारा 251-ए राज. शि. एम् 1955 अनवानी कानूराम बनाम लखिनी देवी में उपरवन्त अधिकारी देवली से अन्व दिती सहाय न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तुत हुआ है। बहस अति. प्रार्थी सुनी गई। तत्कालीन उपरवन्त अधिकारी, देवली जिनमें पत्रकार (अतिरिक्त) को संभावित न्याय की उम्मीद नहीं थी, का पुंदि स्थानान्तरण हो चुका है। अतः अब यह प्रकरण चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण पूरने योग्य नहीं होने से स्थगित किया जाता है। प्रकरण शुमार फेल्ट होकर बाद तत्कालीन दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दोंब | | |